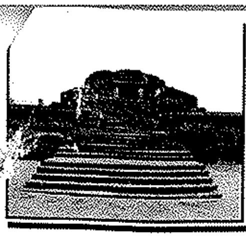

जिला परिषद् कार्यालय, भागलपुर

ddccumceozpbhagalpur@gmail.com

बिहार सरकार

अल्पकालिन सूचना

सर्वसाधाराण को सूचित किया जाता है कि जिला परिषद्, भागलपुर के अंतर्गत जलकर, हाट एवं अड़गड़ा की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए दिनांक 24.03.2020 को 11 बजे दिन में जिला परिषद् भागलपुर के कार्यालय के सभाकक्ष में आम डाक द्वारा की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर दिनांक 28.03.2020 को बंदोबस्ती की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो दिनांक 31.03.2020 को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर डाक की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो किसी भी कार्य दिवस में डाक की जायेगी। जिला अभियंता, जिला परिषद भागलपुर के नहीं रहने के कारण बंदोबस्ती अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् भागलपुर द्वारा कराया जायेगा। बंदोबस्ती संबंधी विवरणी निम्नवत है–

क0	बंदोबस्ती होने वाले जलकर/अड़गड़ा/हाट	सुरक्षित राशि	जमानत की राशि
1	2	3	4
1	बिहपुर प्रखंड अंतर्गत एस0 आर0 14 भाग 2 एन0 एच0 31 चौक से भ्रमरपुर दुर्गा स्थान चौक तक जलकर बंदोबस्ती।	5,425	1,356
2	बिहपुर प्रखंड अंतर्गत सड़क सं0 14 भाग 4 महंथ स्थान चौक से जमालपुर रेलवे गुमटी तक जलकर बंदोबस्ती।	9,225	2,306
3	प्रखंड सन्हौला अंतर्गत सनोखर अड़गड़ा की बंदोबस्ती।	57,615	14,403
4	प्रखंड बिहपुर में संख्या 14 ए भाग 3 भ्रमरपुर दुर्गा स्थान चौक से महंथ चौक तक जलकर।	1,12,696	28,174
5	सड़क सं0 14, भाग 1 गनौल नारायणपुर से बिहपुर भाग एन0 एच0 31 बिरबन्ना चौक तक जलकर बंदोबस्ती।	9,401	2,250
6	जिला परिषद् सड़क सं0 एस0आर0 8 के सबौर छोटी हाट तथा सबौर ढनढानिया हाट सड़क के पास के किनारे दुकानों तथा हाट की बंदोबस्ती।	3,80,650	95,162

बंदोबस्ती की शर्त निम्नवत है–

1. प्रत्येक डाकवक्ता को डाक में भाग लेने हेतु अपना आधार कार्ड एवं पासपोर्ट साईज का फोटो आवेदन के साथ जमा करना होगा।
2. जिस डाकवक्ता एवं उसके परिवार के सदस्य के पास जिला परिषद्, भागलपुर का पूर्व का बकाया होगा, उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जिला परिषद् भागलपुर कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. डाक में भाग लेने के पूर्व उस स्थान हेतु निर्धारित अग्रधन की राशि बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् भागलपुर के पदनाम से बनाकर कार्यालय में डाक की तिथि को 12.00 बजे अपराहन के पूर्व ही जमा करना होगा।
4. सफल डाकवक्ता को स्वीकृति डाक की बन्दोबस्ती राशि डाक के दि नही कार्यालय की कार्यावधि में कार्यालय में जमा करना होगा। राशि जमा करने का साक्ष्य **N.R.** के रूप में अथवा चेक के रूप में देना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर जमा की गयी अग्रधन की राशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता को अवसर दिया जायेगा। यह नियम द्वितीय एवं तृतीय डाकवक्ता पर भी लागू होगा।
5. अधोहस्ताक्षारी को डाक की सूचना वापस लेने, संशोधित करने, डाक की तिथि पुनः निर्धारित करने तथा किसी भी डाक को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

बंदोबस्ती हेतु विस्तृत जानकारी के लिए जिला परिषद् कार्यालय से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0—

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, भागलपुर

996

जिला परिषद् कार्यालय, भागलपुर

ddccumceozpbhagalpur@gmail.com

बिहार सरकार

ज्ञापांक 135 जि० परि० दिनांक 12.3.20

प्रतिलिपिः कार्यवाहक लिपिक को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही संबंधित अंचलाधिकारी/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत को निदेश है कि उक्त सूचना को सूचनापट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः जिला अभियंता, जिला परिषद् भागलपुर, नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नवगछिया/कहलगांव/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः डी० आई० ओ०, एन० आई० सी० भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि बंदोबस्ती सूचना जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपिः माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, भागलपुर